कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दमोह

TEL NO. : 07812-222345, 225157, 223231 FAX NO. : 07812- 223231
E-MAIL : deodamoh01@gmail.com

//निविदा सूचना//

क्रं.क/निर्वा./निविदा/ 2018/345 दमोह दिनांक 24/08/2018

विधानसभा चुनाव 2018 के लिए प्रचार–प्रसार प्रशिक्षण,नांमाकन कार्यवाही,सामग्री वितरण एवं प्राप्ति केन्द्र,मतदान केन्द्र,मतगणना एवं अन्य निर्वाचन संबंधी कार्यो के लिए लगने वाले फ्लेक्स/बैनर/प्रिंटिंग कार्य किये जाने हेतु स्थानीय पंजीकृत तथा अनुभवी शासकीय/अर्द्वशासकीय/निजी संस्थाओं से सील बंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

विस्तृत निविदा दस्तावेज जिसका मूल्य राशि 500/–है। जो जिला निर्वाचन कार्यालय(भारत निर्वाचन) जिला–दमोह से नगद जमाकर प्राप्त की जा सकती है। भरी गई निविदा की पूर्णतः कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,दमोह के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक की प्रतिभूति राशि 10,000(राशि दस हजार मात्र)का डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंक गांरटी के साथ सील्ड लिफाफे में प्रस्तुत की जावेगी।

निविदा मय समस्त सहपत्रों के दिनांक 10.09.2018 अपरान्ह 03:00बजे तक इस कार्यालय में प्राप्त होना चाहिए। निविदा दिनांक 10.09.2018 को अपरान्ह 04:00 बजे निविदा समिति एवं उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी। निविदा से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारियॉ एवं निर्देश जिला निर्वाचन कार्यालय दमोह एवं दमोह जिले की बेबसाईट damoh.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

(डॉ.जे.विजय कुमार)
कलेक्टर
एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
दमोह

पृ.क्रं.क/निर्वा./निविदा/ 2018/346 दमोह दिनांक 24/08/2018

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।।
2. कमिश्नर सागर संभाग सागर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. जिला जनसंपर्क अधिकारी दमोह को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
4. श्री ....प्रिंटर्स दमोह को सूचनार्थ ।

कलेक्टर
एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,दमोह

1. विधानसभा निर्वाचन 2018 अंतर्गत लगने वाले फ्लेक्स,बैनर,प्रिंटिंग कार्य के लिए न्यूनतम दर निर्धारण हेतु निविदा आमंत्रित है। उपरोक्तानुसार सफल निविदाकारों को पारित दरों पर विधानसभा निर्वाचन 2018 के अंतर्गत कार्य करना होगा।
2. प्रत्येक निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में रूपये 10,000/– (दस हजार मात्र) का बैक ड्राफ्ट/बैंक गारन्टी जो कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, दमोह के पक्ष में देय हो, संलग्न की जावे।
3. निविदा मोहर बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से फ्लेक्स,बैनर,प्रिंटिंग कार्य हेतु वार्षिक दर निर्धारण हेतु निविदा दरें लिखा हो, तथा निविदा जिला निर्वाचन अधिकारी,दमोह को संबोधित हो।
4. प्रथम लिफाफे में निविदा सामान्य जानकारी प्रपत्र–1,शर्तों की स्वीकृति (घोंषणा–पत्र) क्रय रशीद,फर्म के जीवित पंजीयन,पेनकार्ड,जीएसटी/सीजीएसटी नंबर आदि की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगी।
5. द्वितीय लिफाफे में निविदा दर अंको एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखी होना चाहिए। यदि किसी निविदाकार द्वारा अंको एवं शब्दों में दी गई दरों में भिन्नता पाई गई तो उस अवस्था में कार्यालय द्वारा जो शासन के हित में होगा मान्य किया जावेगा।
6. कार्यावधि के दौरान किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में मूल्य वृद्धि देय नहीं होगी।
7. कार्य के दौरान किसी भी दुर्घटना/आपदा से होने वाले नुकशान का उत्तरदायित्व इस कार्यालय का न होकर संबंधित निविदाकार को वहन करना होगा।
8. प्रत्येक निविदाकार/फर्म द्वारा हर कार्य के लिए केवल एक ही निविदा प्रस्तुत की जा सकेगी।
9. आवश्यकतानुसार सक्षम अधिकारी के आदेश होने पर निविदाकार को तत्काल सामग्री लगाना होगी।
10. निर्वाचन कार्य में लगने वाली सामग्री प्रदाय किये जाने में असमर्थता व्यक्त किये जाने पर संबंधित निविदाकार की सुरक्षा निधि की राशि राजसात कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये ब्लैक–लिस्टेड घोषित कर दिया जावेगा।
11. दरें स्वीकृत होने के पश्चात् आवश्यकता पड़ने पर निविदाकार को किसी भी समय सामग्री प्रदाय करने के निर्देश दिये जा सकते हैं। निविदाकार सामग्रियों को वांछित स्थान पर तुरंत प्रदाय करने के लिए बाध्य होगां। निविदाकार को ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि उसे 24 घंटे में किसी भी समय संपर्क किया जा सके।
12. प्रदाय की जावे वाली सामग्री उच्च गुणवत्ता की होना आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में भुगतान नहीं किया जायेगा।
13. सफल निविदाकार को दरें स्वीकृति की सूचना इस कार्यालय द्वारा दी जावेगी। किसी भी निविदाकार द्वारा इस संबंध में कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का अनुचित संपर्क नहीं किया जावेगा। ऐसा पाये जाने के दशा में संबंधित निविदाकार को अयोग्य माना जावेगा।
14. सफल निविदाकार की न्यूनतम दरों पर आवश्यकतानुसार अन्य निविदाकारों से भी कार्य कराया जा सकता है।

15. सफल निविदाकार द्वारा समय पर सामग्री उपलब्ध नहीं करने अथवा तत्समय निर्मित परिस्थितियों के अनुसार तात्कालिक आवश्यकता की दशा में स्थानीय बाजार से व्यवस्था की जावेगी। जिस पर होने वाली अधिक व्यय राशि निविदाकार को वहन करनी होगी।
16. निविदाकार द्वारा प्रदाय की जाने वाली समस्त सामग्रियों की सुरक्षा के लिए वे स्वंय जिम्मेदार होगें,तथा सामग्री टूट–फूट होने पर तत्काल बदलना भी होगी।
17. निविदाकार के पास अपने कार्य संचालन हेतु सभी आवश्यक शासकीय अधिकारियों के सक्षम पंजीयन आवश्यक हैं।
18. निविदाकार को निविदा के साथ जीएसटी/सीजीएसटी नं0 तथा पेनकार्ड की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा ब्लैक लिस्टेड न होने विषयक नोटरी किया हुआ शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
19. सामग्री में कमी या वृद्धि करने का पूर्ण अधिकार कार्यादेश जारी करने वाली संबंधित संस्था को होगा तथा देयकों का सत्यापन तथा भुगतान भी उसी संस्था द्वारा किया जावेगा जिसके द्वारा कार्यादेश दिया गया है। कार्यादेश के संबंध में पूर्ण अधिकार जारी करने वाली संस्था का होगा।
20. उपरोक्तानुसार सामग्री हेतु आमंत्रित भावपत्र निविदा किसी समय निरस्त करने अथवा पुनः भावपत्र निविदा आमंत्रित करने का पूर्ण अधिकार इस कार्यालय के पास सुरक्षित होगा।
21. निविदा संबंधी शर्ते एवं अन्य जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखी जा सकती हैं।
22. शासकीय नियमानुसार समस्त प्रकार के कटौत्री की जावेगी अन्य सभी करों का वहन संस्था द्वारा किया जावेगा।
23. समस्त सामग्री की देख–भाल की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की रहेगी। प्रदाय सामग्री के संबंध में किसी भी चोरी/हानि/क्षति की स्थिति में कार्यादेश प्रदायकर्ता कार्यालय द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
24. निविदाकार द्वारा की जाने वाली जानकारी का प्रपत्र संलग्न है। इसमें जानकारी पूर्ण कर आवश्यक दस्तावेजों सहित निविदा के साथ संलग्न करना होगी।
25. जिस फर्म द्वारा पूर्णरूपेण दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये जायेंगें वह निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होगा। प्रथम प्राथमिकता उस फर्म की दी जावेगी जिसके द्वारा न्यूनतम दरें भरी हैं, उस फर्म के द्वारा असमर्थ होने की स्थिति में अन्य फर्म से कार्य लिया जा सकता है।
26. स्वीकृत दरें समस्त प्रकार कर सहित स्वीकृत की गई है। पृथक से कर देय नहीं होगा।
27. प्रदायकर्ता के पास वाणिज्यकर विभाग में जीएसटी/सीजीएसटी नंबर का पंजीयन होने का जीवित प्रमाण–पत्र होना चाहिए, एवं विभाग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
28. प्रदायकर्ता फर्म को सामग्री प्रदाय के दौरान ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक सामग्री चयनित सूची में अंकित किस्म तथा विवरण के अनुरूप होगी। यदि इसमें भिन्नता या घटिया किस्म की सामग्री प्रदाय किया जाना पाया गया तो प्रदायकर्ता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र रहेगा।

29. प्रदायकर्ता फर्म से कार्यालय द्वारा मांग की गई वस्तुओं को प्रदाय करते समय कार्यालय तक पहुँचाने का दायित्व प्रदायकर्ता इकाई का होगा जिसके लिए पृथक से कोई भाड़ा इत्यादि देय नहीं होगा।

30. देयकों की राशि का भुगतान करते समय नियमानुसार कर की राशि की कटोती राशि का भुगतान ई–भुगतान पद्धति से किया जावेगा, एवं आवंटन की उपलब्धता अनुसार ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

31. निर्धारित दरें,नई दरें लागू होने तक मान्य होगी।

32. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम कोई परिवर्तन संबंधी निर्णय लेने अथवा चुनाव कार्यक्रम में होने वाले किसी भी परिवर्तन के कारण निविदाकार संशोधित चुनाव कार्यक्रम अनुसार विहित(कान्ट्रेक्ट)दर से अपनी सेवा जिला निर्वाचन अधिकारी,दमोह को उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा। निविदाकार को देय सेवा शुल्क का निर्धारण जिला निर्वाचन अधिकारी,दमोह के द्वार निवेदित दर को दृष्टिगत रखते हुये किया जावेगा, जो कि निविदा दाता को मान्य होगा।

33. वाद–विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र दमोह रहेगा।

कलेक्टर
एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
दमोह